

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरपाल सिंह बनाम सुखदेव कौर आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 14 सन् 2024

जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/323

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------	--	-------------------------------------------------------

10.10.2024

प्रार्थी गुरपाल सिंह पुत्र आसा सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 36 एफ के खाता संख्या 125/94 के मुख्बा नम्बर 22, 75/16 की 3.099 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

२५/१०/२५

आज यह पत्रावली पेशी में ली गयी प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(b) CPC प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर बंद की जाती है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम होकर वापिस दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर